उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–13
संख्या– 2371 /सत्ताईस–13–2017–05नियां/2015
लखनऊः दिनॉकः 06 दिसम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–942/सत्ताईस–1–2014–324/2001, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा रिट याचिका सं0–665(एस0बी0)/98 मो0 अरशद खॉं बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0–230(एस0बी0)/2009 अशोक कुमार राना बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों कमशः दिनांक 27.09.2010 तथा दिनांक 25.02.2010 के अनुपालन में दिनांक 22.09.1997 से नियमित रूप से प्रोन्नत 28 डिग्रीधारी कोटे के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 06.01.2001 द्वारा वर्ष 1990–91 से 1997–98 तक नियमित रूप से नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के कमांक–207 पर अंकित सहायक अभियन्ता श्री हरी प्रकाश काला के नाम के नीचे तथा ज्येष्ठता सूची के कमांक–207(ए) पर प्रतिस्थापित प्रथम सहायक अभियन्ता श्री चाँद सिंह के नाम के ऊपर कमांक–207(1) से 207(28) पर अन्तिम रूप से प्रख्यापित की गई है।

2– सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग–13 के प्रोन्नति/विज्ञप्ति संख्या–2184/सत्ताईस–13–2017–3(81)/2012 दिनांक 21.11.2017 द्वारा श्री मृत्यंजय प्रताप सिंह को निर्देश याचिका संख्या–591/2008 मृत्युंजय प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के पारित निर्णय दिनांक 03.04.2017 के अनुपालन में तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक अभियन्ता को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्रांक 10/05/पी0/एस–7/2010–11, दिनांक 06.11.2017 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) के अधिसंख्य पद पर नियमित रूप से दिनांक 22.09.1997 से प्रोन्नति प्रदान की गई है।

3– प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्र दिनांक 01.12.2017 में श्री मृत्युंजय प्रताप सिंह सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2014 द्वारा निर्गत ज्येष्ठता सूची के कमांक–18 पर अंकित श्री सुमन कुमार उपाध्याय (वरिष्ठता कमांक–207(18)) एवं कमांक–19 पर अंकित श्री विद्यासागर सिंह (वरिष्ठता कमांक–207(19)) के मध्य निर्धारित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

4– अतः एतद्द्वारा श्री मृत्युंजय प्रताप सिंह सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता कार्यालय–ज्ञाप सं0–942/सत्ताईस–1–2014–324/2001, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में कमांक–207(18) पर प्रतिस्थापित श्री सुमन कुमार उपाध्याय एवं कमांक–207(19) पर प्रतिस्थापित श्री विद्यासागर सिंह के मध्य कमांक–207(18ए) पर अनन्तिम रूप से निर्धारित की जाती है।

5– इस ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में यदि किसी अधिकारी को कोई आपत्ति है तो वह अपनी लिखित आपत्ति/प्रत्यावेदन निर्गत तिथि से 07 कार्य दिवस के अन्दर प्रेषित कर सकता है। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और इस अनन्तिम ज्येष्ठता के विरुद्ध समयान्तर्गत प्राप्त आपत्तियों एवं प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के उपरान्त अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित कर दी जाएगी।

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ.

0/12

संख्याः 2371 (1)/27-13-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि सूची में अंकित समस्त संबंधित को अपने स्तर से परिचालित कर प्राप्त आपत्तियों पर अपनी आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध करायें।

2. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।